तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21/01/2026	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 20/02/2026 को पेश हो।	
20/2/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 17/3/26 को पेश हो।	
17/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 10/04/26 को पेश हो।	
10/04/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० अप्रार्थी सं० 2 गै०हा० ॥ स्वयं आ० व अधि० अप्रार्थी संख्या 2 गै०हा० ॥ आ० कई बार आवाज लगवाई गई लेकिन कोई उप० नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से निस्तारण जानकर दा० खि० है। पत्रावली फैसला सुनाया हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 04 / 2025

1. कुमरसिंह पुत्र हरीसिंह
2. बृजेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

.....अप्रार्थी

2. किशन सिंह पुत्र जोरमल
3. गुड्डी पुत्री बाबूलाल
4. गिर्राजी पत्नि हरीसिंह
5. गोरधन सिंह पुत्र हरीसिंह
6. धर्मदत्त पुत्र विजेन्द्र
7. फूलवती पुत्री बाबूलाल
8. बनवारी पुत्र बाबूलाल
9. मुद्रा पत्नि कुंवरसिंह
10. वीरभान पुत्र बाबूलाल
11. सुभाष चन्द पुत्र बाबूलाल समस्त जातियान जाटव निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।

.....तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—10.04.2026**

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 44,45,46,47 बाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की पैमाइश हेतु तहसीलदार उच्चैन के समक्ष को प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसकी पालना में हल्का पटवारी पिचूना के द्वारा दिनांक 29.06.2024 को खसरा नम्बर 44,45,46,47 की पैमाइश कर सीमाज्ञान कराया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.06.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा दिनांक 19.06.2025 को जबाव प्रस्तुत निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी पर कोई भी स्थगन का नोट नहीं लगा हुआ है एवं सभी खसरों की

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

पैमाइश दिनांक 29.06.2024 को की जा चुकी है वर्तमान रागी खसरे मौके पर खाली है व उक्त खसरे विवादित है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी की पैमाइश दिनांक 29.06.2024 को की जा चुकी है। पडौसी खातेदार उक्त आराजी की डौल मैडों को तोडते रहते है जिसके कारण विवादित आराजी की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 29.06.2024 पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 44,45,46,47 बांके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदि ना हो एवं उक्त आराजी पर कब्जे संबंधी विवाद आदि नहीं हो तो उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बावत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर